**पश्चिम मध्य रेल**

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

**कार्यालय**
**मुख्य सुरक्षा आयुक्त**
**रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर**
**दिनांक–26.11.2015**

**सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय**
**पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर**

विषय–माह अक्टूबर–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 04 पेज ।

**सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन**
**रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर**

## रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर –2015

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| अक्टूबर –2015 | 38 | 38 | 50420 | 50420 | 46 | 00 | 00 |

## बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर –2015

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| अक्टूबर –2015 | 02 | 02 | 43250 | 43250 | 07 | 00 | 00 |

## रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह अक्टूबर –2015

| माह | मामले | | संपत्ति की कीमत रू. में | | गिरफ्तार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दर्ज | हल | चोरी गई | बरामद | बाहरी व्यक्ति | रेलकर्मी | आरपीएफ |
| अक्टूबर –2015 | 40 | 40 | 93670 | 93670 | 53 | 00 | 00 |

| धारा | दर्ज प्रकरणों की संख्या | जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि |
|---|---|---|
| **137** | 3731 | 1745605 |
| **138** | 11676 | 5696997 |
| **139** | 0 | 0 |
| **141** | 450 | 193495 |
| **142** | 0 | 0 |
| **143** | 3 | 0 |
| **144** | 1245 | 535529 |
| **145** | 884 | 101295 |
| **146** | 8 | 3200 |
| **147** | 397 | 80550 |
| **153** | 4 | 0 |
| **154** | 16 | 45300 |
| **155** | 789 | 78765 |
| **156** | 264 | 26750 |
| **157** | 0 | 0 |
| **159** | 690 | 106200 |
| **160** | 9 | 0 |
| **161** | 0 | 0 |
| **162** | 496 | 47505 |
| **163** | 0 | 0 |
| **164** | 1 | 2400 |
| **165** | 0 | 0 |
| **166** | 0 | 0 |
| **167** | 17 | 2305 |
| **172** | 3 | 950 |
| **173** | 0 | 0 |
| **174** | 10 | 4000 |
| **175** | 0 | 0 |
| **176** | 0 | 0 |
| **180(g)** | 0 | 0 |
| **Total** | **20,693** | **86,70,846** |

## रेल अधिनियम के तहत माह अक्टूबर 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

### रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

i. दिनॉक 29.09.15 को भोपाल स्टेशन के पी.एफ न0– 2–3 पर गाड़ी कं 11077 के जनरल कोच में चढ़ते समय एक व्यक्ति, यात्री की जेबकाटकर भाग रहा था तभी मौके पर उपस्थित भोपाल पोस्ट की यात्री संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा उपनिरीक्षक अजीत सिनसिनवार के नेतृत्व में उसे पकड़कर जी.आर.पी. भोपाल को सुपुर्द किया गया। यात्री दीपक जैन पिता भागचंद जैन निवासी शिव नगर कालोनी विदिशा रोड भोपाल (म0प्र0) द्वारा जी.आर.पी भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई गई। जी.आर.पी भोपाल द्वारा उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0938/15 धारा 379 भारतीय दंड संहिता 1860 में दर्ज कर मामला जॉच में लिया गया है।

ii. दिनांक 02.10.2015 को रेसुब इटारसी पोस्ट से उप निरीक्षक विजय सिंह हमराह स्टॉफ आरक्षक जितेन्द्र वर्मा आरक्षक शैलेन्द्र जायसवाल (यात्री संबंधी अपराधों एवं अन्य अपराधो की रोकथाम हेतु गठित टीमं) द्वारा इटारसी स्टेशन पर सादे कपड़ों में यात्रियों के बीच में मिलकर आवंछनीय तत्वों के विरूद्व निगरानी करते हुये समय 07.50 बजे गाड़ी संख्या 12792 पटना सिंकदराबाद एक्सप्रेस के आगमन पर उक्त गाड़ी के कोच एस 4 से एस 1 तक के कोचों को चैक करने पर एस 2 कोच के कुछ यात्री सामान चोरी की चर्चा करते पाये गये इस पर एक महिला यात्री अंजली कुमारी का लेडीज पर्स जिसमें 02 पायल चॉदी की व 07 नग बिछुआ चॉदी के व नगदी 1050/– थे तथा अन्य उपयोगी सामान था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है चोरी करने वाला उक्त कोच के शौचालय में मिल गया किंतु उसमें रखा अन्य उपयोगी सामान के आलावा उपरोक्त सभी सामान गायब है। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पेंट के एक जेब से 1050/– रूप्ये नगद व पीली पालीथिन जिनमें लाल रंग के नग जैसे रखे थे और दूसरी जेब में दो पायल व 07 नग बिछुआ मिले जिसकी शिनाख्तगी उक्त महिला यात्री अंजली द्वारा कर सामान को अपना होना बताया। मोहम्मद सरफराज पुत्र बाबू खॉन का जीआरपी इटारसी को सुपुर्द किया गया जहॉ पर उक्त महिला यात्री की फरियाद पर जीआरपी इटारसी द्वारा अपराध कमांक 0670/15 धारा 380 आईपीसी दिनांक 02.10.2015 कायम कर विवेचना में लिया गया।

iii. दिनॉक 04.10.15 को समय करीबन 19.30 बजे निरीक्षक रेसुबल भोपाल के निर्देश पर गाड़ी कं 12779 आने का समय 19.40 बजे पी.एफ न0–2 पर आई जिसके पिछले जनरल कोच चैक किये तो गार्डब्रेक से तीसरे जनरल कोच एन डब्ल्यू –04154 जीएस के इटारसी छोर की राइट साइड के शौचालय में 6 फुट लंबे 8'' इंच चौड़े 6'' इंच मोटे सागौन की लकड़ी के चार गुल्ले रखे पाये गये । जिन्हे गठित टीम की मदद से पी.एफ पर उतरवाया बाद समय 19.50 बजे गाड़ी बराबर रवाना हो गई। ट्रेन स्कार्टिंग स्टाप सउनि हरिमोहन मिश्रा मय स्टाफ सडिपुका गाड़ी पर उपस्थित मिले। उक्त घटना मे लकड़ी के गुल्ले लाकर पोस्ट पर रखवाये । 20 से 08 बजे की शिफ्ट इन्चार्ज उपनिरीक्षक अजीत सिंह को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। जिसे वन विभाग को कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया।

iv. दिनांक 05.10.2015 को गाडी संख्या 54811 भोपाल स्टेशन के पीएफ नंबर 05 पर खडी थी समय करीबन 16.05 बजे गाडी के प्रस्थान करते ही एस 02 कोच के बर्थ नंबर 55/56 पर यात्रा कर रही महिला यात्री साक्षी बजाज पुत्री मनोहर दास बजाज उम्र 18 साल निवासी केरुमल गुरुमल गुरुमुख दास पंचायती मंदिर रोड थाना सहडोल जिला सहडोल इनके पिता मनोहर दास भी साथ मे यात्रा कर रहे थे एक व्यक्ति इनके मोबाईल को छीनकर भागने लगा उसी दौरान मौके पर उपस्थित उपनिरीक्षक बीरेन्द्र सिंह रेसुबल भोपाल रिजर्व व उपनिरीक्षक जी पी कैथवास साथ प्रधान आरक्षक जी एस बेनीवाल आरक्षक आरक्षक रामराज सिंह ने साथ मिलकर पीछा कर पीएफ तरफ के सरकूलेंटिंग एरिया के स्कूटर स्टेंड के पास से आरोपी को पकडा गया। उसने अपना नाम संतोष बघेल बताया जिसके पास से एक सेंमसंग कंपनी का मोबाईल जिसमे आईडिया की सिंम नंबर 9644487966 थी जिसकी कीमत करीबन 8000 रुपये को जप्त कर जीआरपी भोपाल को सुपुर्द किया गया। मामले मे पीडित यात्री से जीआरपी विदिशा द्वारा चलित एफआईआर लेकर जिसका अपराध कमांक 058/2015 धारा 356,379 आईपीसी दिनांक 05.10.15 दर्ज कर जांच मे लिया गया है।

v. दिनांक 07.10.15 को मिडघाट के जंगल से लकडी चोरी करके ट्रेन से ले जाने की लगातार शिकायत पर इस प्रकार की ढुलाई को रोकने के लिये रेसुबल आउट पोस्ट होशंगाबाद से सउनि एस.एस.यादव के नेतृत्व मे एक टीम गठित की गई उक्त टीम के द्वारा दिनांक 07.10.15 को गाडी संख्या 59835 अप को औचक रुप से बुदनी स्टेशन पर चैक किया तो उसमे तीन व्यक्ति 01. सूरज सिंह पुत्र श्री अमर सिंह उम्र 30 साल 02. मनोज मेहरा 03. भगवान दास को लगभग 01 से 02 मीटर लंबी सागौन की इमारती लकडी कुल 03 नग कीमत 4230 रुपये के साथ पकडा वन विभाग के डिप्टी रेंजर श्री आर.के.जैन. व नाकेदार श्री संतोष राय को को सुपुर्द किया। वन विभाग द्वारा वन विभाग अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

vi. दिनांक 07.10.2015 को रेसुबल इटारसी स्टेशन से यात्री संबंधी अपराधो व अन्य अपराधो की रोकथाम हेतु गठित टीम जिसमे उपनिरी. विजय सिंह,आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक शैलेन्द्र जायसवाल द्वारा अपराधो की रोकथाम बावत इटारसी स्टेशन प्लेटफार्म पर निगरानी के दौरान समय लगभग 17.30 बजे एक व्यक्ति राम बाबू आया व अपनी व्यथा सुनाई कि इटारसी स्टेशन के सामने रेसीडेंसी होटल के पास एक लडका उससे शराब पीने के लिये रुपये मांगे तथा रुपये नही देने पर हाथ घूंसो से मारपीट की। संदिग्ध व्यक्ति से टीम द्वारा पूछने पर उसने उक्त घटना को स्वीकार किया तथा अपना नाम अनीश तिवारी बताया। मामला पैसे की मांग को लेकर मारपीट का पाया जाने पर उक्त फरियादी की मौखिक फरियाद पर आरोपी अनीश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0773/15 धारा 327 आईपीसी दिनांक 08.10.15 दर्ज कर मामले को विवेचना मे लिया गया।

vii. दिनांक 09.10.2015 को यात्री नितिन सेन पुत्र श्री कपूर चंद सेन उम्र 20 साल नि. ग्राम पूरा विरधा त0 तालबेहट थाना पूरा कला जिला ललितपुर उप्र द्वारा जीआरपी थाना भोपाल में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी भाभी वर्षा के साथ गाड़ी संख्या 51828 के सामान्य कोच में बैठकर यात्रा कर रहा था, सांची स्टेशन निकलने के बाद एक लड़के ने चैन पुलिंग की और जैसे ही गाड़ी रूकी एक लडका जो सामने की सीट पर बैठा था, उसने उसकी भाभी वर्षा के पास से लाल कलर का पर्स जिसमें 01 सोने का मंगल सूत्र, 01 नोकिया लूमिया कंपनी का मोबाईल, सिम नं. 8173059607 नगदी 1500/रु कुल कीमत –31500/रु छीनकर गाड़ी से नीचे कूदकर भाग गया, उसके साथ 6–7 और लड़के थे, भोपाल पोस्ट पर यात्री संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु गठित रेल सुरक्षा बल टीम के उप निरीक्षक श्री अजीत सिंह, आरक्षक एस के डेविड,आरक्षक देवेन्द्र चक्रवती,आरक्षक अमित सिंह,आरक्षक गोपाल सिंह यादव द्वारा बताये हुलिया के आधार पर आरोपी 01. प्रेमनारायण 02. संदीप को पकडा तथा भोपाल स्टेशन पर लाकर पीडित यात्री से शिनाख्त कराई और पुष्टि होने पर वैधानिक कार्यवाही हेतु पकडे गये व्यक्ति को जीआरपी भोपाल को सुपुर्द किया गया। उक्त घटना में फरियादी नितिन सेन की फरियाद पर जीआरपी भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 964/2015 अंतर्गत धारा 392 आईपीसी दिनांक 09.10.2015 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

viii. दिनांक 09.10.2015 को हर्ष सोनी पुत्र धनीराम सोनी आयु 15 साल निवासी–राजमहल रोड, मासाउ माता मंदिर के पास टीकमगढ (म.प्र.) द्वारा जीआरपी थाना इटारसी में शिकायत दर्ज कराई कि वह दिनांक 09.10.2015 को ट्रेन नं. 12721 दक्षिण एक्सप्रेस से ललितपुर से हैदराबाद तक अपने चाचा–चाची व भाई के साथ कोच क्रमांक एस–11 वर्थ नं. 63 व 71 परं यात्रा कर रहा था गाड़ी के इटारसी स्टेशन पर समय 16.00 बजे प्लेटफार्म नं.1 पर पहुॅचने पर एक अज्ञात व्यक्ति उक्त कोच में आया और फरियादी का पर्स व मोबाईल छीनकर भाग गया। रेलवे सुरक्षा बल इटारसी पोस्ट व हबीबगंज पोस्ट की संयुक्त टीम के उपनिरीक्षक विजय सिंह, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक शैलेन्द्र जायसवाल, प्रआर बलवीर सिंह, आरक्षक परिक्षित रघुवंशी एवं आरक्षक अमरसिंह द्वारा ट्रेन क्रमांक 12721 दक्षिण एक्सप्रेस के प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर इंटर करते समय एक यात्री द्वारा गस्त कर रही टीम को यह बताने पर कि प्लेटफार्म आने के पूर्व एक लाल शर्ट पहने हुये युवक मेरा मोवाईल लूट कर पीछे की तरफ चलती ट्रेन से उतरकर भाग गया है उसे घेरा डालकर टीम ने पकड लिया तथा उसे स्टेशन पर लाकर शिकायतकर्ता से शिनाख्त कराकर लूटे हुये सामान के साथ आग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी जीआरपी इटारसी को सुपुर्द किया उक्त घटना मे फरियादी हर्ष की फरियाद पर जीआरपी इटारसी द्वारा एफआईआर नं. 0684/15 धारा 392 आईपीसी दिनांक 09.10.15 दर्ज कर जॉच में लिया गया।

ix. दिनांक 16.10.2015 को गाडी संख्या 12156 के प्रथम वातानुकुलित के सी. कूपे मे विंग कमाण्डर (सेवानिवृत) श्री वी.बी.प्रसाद का यात्रा के दौरान सेमसंग कंपनी का आइ.फोन मोबाईल भूल गये थे। उक्त मोबाईल कोच

अटेण्डेन्ट को मिलने पर उसने मोबाईल रेसुबल पोस्ट पर भिजवाया। उपरोक्त यात्री का ई टिकिट होने के कारण टी.सी.से उनके बारे मे जानकारी लेकर संपर्क किया गया और दिनांक 20.10.2015 को यात्री के रेसुबल पोस्ट हबीबगंज पर उपस्थित होने पर उनका मोबाईल सही सलामत उन्हे सुपुर्द किया गया। यात्री द्वारा इस संबंध मे रेसुबल के प्रति आभार व किये गये कार्य के लिये भूरी–भूरी प्रशंसा व्यक्त की।

x. दिनांक 16.10.2015 को बीना से इटारसी स्टेशन एवं वापसी हेतु गाडी क्रमांक 16094/16031 मे रेसुबल बीना एवं रेसुविबल का अनुरक्षण दल तैनात था। गाडी क्रमांक 16094 मे बीना से इटारसी के मध्य अनुरक्षण के दौरान अनुरक्षण दल द्वारा एक व्यक्ति को कोच एस–03 में संदिग्ध हालत मे देखा जो यात्रियो के बैगो/सामानों को टटोल/चैक कर रहा था। उसे पकड़कर पूछताछ किया तो उसने अपना नाम जगदीश राजपूत बताया। बाद कोच मे यात्रा कर रहे यात्रियो से उनके सामान के बारे मे पूछताछ किया तो किसी भी यात्री द्वारा सामान चोरी होने की शिकायत नही की गई। बाद उस व्यक्ति को जीआरपी थाना बीना मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। मामले मे जीआरपी बीना द्वारा अपराध क्रमांक 35/2015 धारा 107,116 आईपीसी एवं 151 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच मे लिया गया। अनुरक्षण डियूटी के दौरान रेसुबल बीना के आरक्षक बृजेन्द्र कुमार चौरे (पार्टी इंचार्ज ) एवं अन्य रे.सु.विबल के जवानों द्वारा सर्तकता से डियूटी किये जाने के परिणाम स्वरूप यात्री सामान की चोरी घटना को घटित होने से रोका गया।

xi. दिनांक 18.10.15 को रेसुबल पोस्ट गुना से सील चैकिंग एवं यात्री संबंधी अपराधो की रोकथाम मे तैनात आरक्षक मनीष जाट द्वारा समय 14.00 बजे प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर एक यात्री श्री कृष्ण गोपाल भार्गव पिता भवानी शंकर निवासी विकाश नगर गुना केन्ट गुना मध्य प्रदेश का मोबाईल चोरी कर भागते आरोपी को रंगे हाथ पकडा पूछने पर आरोपी ने अपना नाम व पता दिलीप रघुवंशी परमाल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी बरोद पीएस आरोन जिला गुना बताया बाद आरोपी मय फरियादी के साथ रेसुबल पोस्ट गुना लाये जहां उपनिरीक्षक जी.एल.मीणा के द्वारा मय तहरीर आरोपी व फरियादी व इंटेक्श कंपनी का मोबाईल जिसकी कीमत लगभग 1400 रुपये के साथ ले जाकर जीआरपी थाना गुना को सुपुर्द किया गया। उक्त घटना में फरियादी श्री कृष्ण गोपाल भार्गव की फरियाद पर जीआरपी गुना द्वारा अपराध क्रमांक 59/2015 धारा 379 आईपीसी दिनांक 18.10.2015 के तहत दर्ज कर जांच में लिया गया। मामले की जांच श्री पाल सिंह प्रधान आरक्षक जीआरपी थाना गुना द्वारा की जा रही है।

xii. दिनांक 19.10.2015 को भोपाल स्टेशन पर सील चैकिंग डियूटी पर तैनात आरक्षक श्री देवेन्द्र कुमार चक्रवर्ती ,रेसुबल पोस्ट भोपाल द्वारा डियूटी के दौरान प्लेटफार्म क्रंमाक 2 पर एक लड़का व लड़की को संदिग्ध हालत में बैठे हुये देखने व शक होने पर बालक एवं बालिका से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नही देने पर उन्हें भोपाल पोस्ट पर लाया गया जहां पुनः पूछताछ की गई तो लड़के ने अपना नाम पवन पुत्र रामदीन बैरागी उम्र 20 साल नि– ग्राम रंधा थाना खातेगांव जिला देवास मध्यप्रदेश व लड़की ने अपना नाम सुनीता पुत्री कैलाश दास बैरागी उम्र 20 साल नि– ग्राम रंधा थाना खातेगांव जिला देवास मध्यप्रदेश बताया तथा बताया कि वह दोनो अपनी स्वेच्छया से घर से भागकर इंदौर से भोपाल आयें है। लड़के द्वारा अपने घर का मोबाइल नंबर 8719881302 बताया जिस पर उनके परिजनों को सूचना दी गई। दिनांक 19.10.2015 को समय करीबन 14.00 बजे लड़के व लड़की के परिजन रेसुबल पोस्ट भोपाल पर उपस्थित हुये दोनों के द्वारा अपने अपने परिजनों की पहचान की गई एवं स्वेच्छया से अपने घर जाने को तैयार होने पर समक्ष गवाहन दोनो लड़के एवं लड़की को उनके परिजनों को पाक साफ हालत में सुपुर्द किया गया।

xiii. दिनांक 24.10.2015 को रेसुबल पोस्ट भोपाल पर पदस्थ आरक्षक ओम प्रकाश रघुवंशी की डियूटी भोपाल स्टेशन मेनगेट पर स्थित बैगेज स्कैनर थी। उक्त आरक्षक की ड्यूटी के दौरान समय करीबन 13.00 बजे मेनगेट पर यात्रियो की अचानक भीड जमा होते देख आरक्षक द्वारा तुरंत मौके पर जाकर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके माथे पर चोट लगने के कारण खून निकल रहा था, जिस पर आरक्षक ने बिना बिलंब किये बुजुर्ग व्यक्ति को मौके से उठाकर उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) भोपाल के कार्यालय में उपलब्ध फस्टेड बाक्स को लेकर घायल हुये व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया। आरक्षक ने प्रार्थमिक उपचार देते

समय ही 108 एम्बोलेंस से हमीदिया चिकित्सालय भोपाल उपचार के लिये भेजा गया। बल सदस्य को वरिमंसुआ/भोपाल द्वारा 1000 रू से पुरूस्कृत किया गया है।

xiv. दिनांक 27.10.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से 08 से 16 बजे की शिफ्ट में सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम में तैनात आरक्षक राजवीर सिंह मीणा ने लोको पायलट की यूनिफार्म पहने व हाथ में वाकी टाकी लिए हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके पैन्ट के पिछले जेब से सीढ़ियों पर कुछ गिरते हुए देखा, जिसकी सूचना आरक्षक राजवीर मीणा द्वारा तत्काल बैगेज स्केनर पर तैनात आरक्षक दिनेश चन्द डांगुर को दी। सूचना पर आरक्षक दिनेश चन्द ने सीढ़ियों में देखा कि डाक जीवन बीमा निधि कि एक पास बुक जिसके अंदर 500/– रूपये के 02 नोट, 100/– रूपये का 01 नोट एवं 10/– रूपये के तीन नोट कुल 1130/– रूपये रखे थे। जिसको लोको पायलट सन्टर अमित कुमार सेनापति को रेल सुरक्षा बल पोस्ट इटारसी स्टेशन पर बुलाकर सुपुर्द किया गया।